No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/180
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

Date: 17.12.2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद– पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–731K के रढ़ैता–पीलीभीत खण्ड तक के निर्माण कार्य में संरक्षित/गैर संरक्षित वन भूमि पर बाधक वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक–1652/15–1, पीलीभीत, दिनांक 07.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय कमियाँ/सूचनाओं को इंगित किया गया है। उक्त के संदर्भ में आपके द्वारा अवगत कराये गये बिन्दुवार सूचना के सापेक्ष इस कार्यालय की आख्या निम्नवत् हैः–

क्र.	आपत्ति/प्रदत्त सूचना	निराकरण/आख्या
1.	प्रभाग की कार्ययोजना में लिपुलिक–भिण्ड मार्ग पीलीभीत से बीसलपुर की ओर बढते कि0मी0 के क्रम में है जब कि प्रस्ताव बीसलपुर से पीलीभीत की ओर बढ़ते क्रम में उपलब्ध कराया गया है। इससे बांयी पटरी दांयी पटरी हो गई है तथा दांयी पटरी बांयी पटरी हो गई है। संशोधन किया जाये।	अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से सम्बन्धित अधिसूचना के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.03.2014 के पैरा–(ग) के प्रावधान के अनुसार ***प्रभागीय वनाधिकारी वास्तविक ब्यौरे एवं प्रस्ताव की जांच करेगा, मानचित्र प्रमाणित करेगा, स्थल निरीक्षण और वृक्षों की गणना करेगा और इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।*** इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बढ़ते हुए चैनेज के अनुसार वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा इस कार्यालय के प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जा रहा है तथा गैर संरक्षित वन भूमि में प्रभावित बाधक वृक्षों की गणना पूर्ण कर ली गयी है। पुनः अवगत कराना है कि निश्चित लम्बाई में प्रभावित वृक्षों की गणना किसी भी दिशा में किये जाने पर प्रभावित नहीं होती है तथा वृक्षों की गणना किमी0 वार की गयी है जिससे छपान के समय प्रभावित वृक्षों को सुगमता के साथ चिन्हित किया जा सके। छपान के समय वन विभाग द्वारा अपने सुविधानुसार गणना क्रमांक निर्धारित/अंकित किया जा सकता है।

क्रमशः....2/–

2.	प्रभाग में बीसलपुर–खुदागंज मार्ग की ओर बढ़ते कि0मी0 के क्रम में है जब कि प्रस्ताव खुदागंज से बीसलपुर की ओर बढ़ते क्रम में उपलब्ध कराया गया है। इससे बांयी पटरी दांयी पटरी हो गई तथा दांयी पटरी बांयी पटरी हो गई है। संशोधन किया जाये।	उपरोक्तानुसार।
3.	प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की संख्या एवं वन भूमि की मांग न्यूनतम रखी जाये।	प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षों की संख्या एवं वन भूमि की मांग न्यूनतम रखी गई है, जिसकी बचनबद्धता पूर्व में प्रस्ताव के साथ आपको प्रेषित की गई है।

2. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे आग्रह है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता (EAP Zone), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, नं0–1 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
2. मुख्य अभियंता – क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ–226021
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ।
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।
5. वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मेसर्स चैतन्या प्रोजेक्ट कन्सल्टेंसी प्रा0लि0 सह एग्निसियो इंफ्रास्ट्रचर प्रा0लि0 (परियोजना सलाहकार)– उक्त प्रकरण में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र कार्य निष्पादन कराये जाने हेतु प्रेषित।

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।